रजि. स्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 1974/भाद्र 25, 1896
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 1974/BHADRA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library Govt

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th September, 1974

SUBJECT.—*Export of human hair, dyed and bleached human hair, wigs and wiglets of human hair and other articles made partly or wholly of human hair.*

No. 33-ETC(PN)/74.—In supersession of all earlier Public Notices on the above subject, it has now been decided as follows:—

(i) Raw human hair and "single drawn" human hair will not be allowed for export from the date of this Public Notice;

(ii) Export of (a) "double drawn" human hair, (b) waste human hair commonly known as "Tukus" (*i.e.* human hair of the length of 3" and below) and (c) bleached and dyed human hair will be allowed if made by or through the State Trading Corporation of India.

(iii) Export of wigs and wiglets made of human hair and other articles made partly or wholly of human hair shall be allowed if made by or through the State Trading Corporation of India.

Exports will be allowed only against irrevocable letters of credit on outright sale basis and no exports will be allowed on consignment basis in respect of export of wigs and wiglets made out of human hair and other articles made partly or wholly of human hair as also bleached and dyed human hair. However, export of "double drawn" human hair and "Tukus" shall be allowed against D.P. and D.A. terms as well.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना।

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1974

विषय.—मानव केश, रंजित एवं विरंजित मानव केश, मानव केश विग एवं विगलेट और मानव केश से अंशतः या पूर्णतः निर्मित अन्य सामग्री का निर्यात।

स० 33-ई० टी० सी० (पी० ए०)/74.—उपर्युक्त विषयक पहले की सभी सार्वजनिक सूचनाओं का अधिक्रमण कर अब इस प्रकार निश्चय किया गया है कि :—

(1) अपरिष्कृत मानव केशों और "एक बार परिष्कृत किए गए" मानव केशों को निर्यात करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(2) (क) "दो बार परिष्कृत किए गए" मानव केशों, (ख) रद्दी मानव केशों, सामान्यतः "टुकुज" के रूप में अभिज्ञात मानव केशों (अर्थात् 3" और इससे कम लम्बाई के मानव केश) और (ग) विरंजित तथा रंजित मानव केशों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी, यदि वे भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा या उसके माध्यम से बनाए गए हों।

(3) मानव केशों से निर्मित विग्स तथा विगलेट्स और मानव केशों से अंशतः या पूर्णतः निर्मित अन्य सामग्री के निर्यात की अनुमति दी जाएगी यदि वे भारत के राज्य व्यापार निगम या उसके माध्यम से बनाए गए हैं।

2. निर्यातों की अनुमति केवल सम्पूर्ण एकदम बिक्री के आधार पर अपरिवर्तनीय साख-पत्रों के प्रति दी जाएगी और मानव केशों से निर्मित विग्स और विगलेट्स और मानव केशों से अंशतः या पूर्णतः बनी अन्य सामग्री जैसे विरंजित और रंजित मानव केशों के भी सम्बन्ध में परेषण के आधार पर किसी भी निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन, "दो बार परिष्कृत" मानव केशों और "टुकुज" के निर्यात की अनुमति अस्थगित भुगतान और डी० ए० की शर्तों के प्रति भी दी जाएगी।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974